# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0195 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/07/2026 15:06 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 10/07/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 19:58 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/07/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/07/2026 15:06:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MORDERN MEDICO SELUTION PRIVATE LIMITED, MADHUVAN JILA UDAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJEEV PORWAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): LATE. BHANWARLAL JI PORWAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1969 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | B 405, CIRCLE VIEW APARTMENT, SUKHADIA CIRCLE, UDAIPUR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | B 405, CIRCLE VIEW APARTMENT, SUKHADIA CIRCLE, UDAIPUR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. RATANLAL BILWAL | | पिता:SHANTILAL | 1. GANGRAR,CHITTORGARH,RAJ |
| 2 | ABDUL KADIR | | पिता:ABDUL SABBUR | 1. 831,BARKAT COLONY SAVINA HERAN MAGRI,SECTOR 12 JILA UDAIPUR,UDAIPUR,RAJASTHA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 30,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें, श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बांसवाडा।विषयः- कानुनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै राजीव पोरवाल पिता स्व. श्री भंवरलाल जी पोरवाल उम्र 57 वर्ष निवासी बी 405 सर्कल व्यूह अपार्टमेन्ट सुखाडिया सर्कल उदयपुर हाल पेशा लेब संचालक जिसका नाम मार्डन मेडिको सोल्युषन प्रा. लिमिटेड उदयपुर में संचालित है। जिसमे सोनोग्राफी मशीन लगी हुई है जिसके लिए मुझे नये डा. नन्दनी दाधिच, रेडियोलोजिस्ट का नाम जोडने हेतु दिनांक 23.06.2026 को मेरे द्वारा आवेदन पीसीपीएनडीटी ऑफिस बडी रोड पर जमा किए थे परन्तु अभी तक पीसीपीएनडीटी ऑफिस के जेडी डा. रतन बिलवाल के द्वारा हस्ताक्षर नही किए गए। मेरे द्वारा डा. रतन बिलवाल से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि मै करता हु। इसके बाद दिनांक 08.07.2026 को मोबाईल नं से मेरे मोबाईल नं पर डा. रतन बिलवाल के नाम से काल आया और मुझे मिलने कि बात कही है। जिस पर मेरे द्वारा उन्हे मेरी लेब के पते पर बुलाया गया। जिस पर वह मेरी लेब के बाहर कार लेकर आया उक्त व्यक्ति ने मुझे कार नं आरजे 27 सीएफ 1296 मे बैठे-बैठे मुझे कार के पास बुलाया। मै जब उस व्यक्ति कि कार के पास गया तो उसने अपना नाम प्रवीण गर्ग बताकर डा. रतन बिलवाल के द्वारा भेजना बताया और कहा कि तुम्हारे लेब में रेडियोलोजिस्ट डाक्टर का नाम जोडने की स्वीकृति जारी करने के लिए कुल 1,30,000/- रूपये रिश्वत राशि देने पर ही डा. रतन बिलवाल जी हस्ताक्षर कर स्वीकृति जारी करेंगे। इस प्रकार डॅा रतन बिलवाल अपने दलाल प्रवीण गर्ग के माध्यम से रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मै डा. रतन बिलवाल व प्रवीण गर्ग को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं । मेरी डा. रतन बिलवाल व प्रवीण गर्ग से कोई आपसी रंजिश नही है ना ही कोई बकाया लेन-देन है। अतः रिपोर्ट पर कानुनी कार्यवाही करावें। दिनांक 09.07.2026 प्रार्थी सही/- राजीव पोरवाल मोनं कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा दिनांक 08.07.2026 समय 07.58 पीएम पर परिवादी श्री राजीव पोरवाल पिता स्व. श्री भंवरलाल जी पोरवाल उम्र 57 वर्ष निवासी बी 405 सर्कल व्यूह अपार्टमेन्ट सुखाडिया सर्कल उदयपुर हाल पेशा लेब संचालक जिसका नाम मार्डन मेडिको सोल्युषन प्रा. लिमिटेड उदयपुर द्वारा अपने मोबाईल नं से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल न पर काल कर बताया कि मेरी लेब में रेडियोलोजिस्ट डाक्टर का नाम जोडने के लिए दिनांक 23.06.2026 को पीसीपीएनडीटी ऑफिस बडी रोड जोन उदयपुर में आवेदन दिया गया था जिस पर मुझसे पीसीपीएनडीटी प्रभारी डा. रतन बिलवाल, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर अपने दलाल के माध्यम से 1,30,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है रिश्वत राशि देने पर ही नाम जोडने की स्वीकृति जारी करेगा। मै कानुनी कार्यवाही करवाना चाहता हु। जिस पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवष्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की टेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई एवं परिवादी को बताया गया कि कल दिनांक 09.07.2026 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा का कार्मिक उदयपुर पहुच कर आपसे सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही सम्पादित करेगा। इसके बाद समय 08.40 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के कानि श्री बंसीलाल को जरिये दूरभाष हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकार्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड (ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी बरंग काला) प्राप्त कर कल दिनांक 09.07.2026 को प्रातः उदयपुर पहुच मन् पुलिस उप अधीक्षक से जरिये दूरभाष सम्पर्क करने के लिए निर्देष प्रदान किए। दिनांक 09.07.2026 समय 10.26 एएम पर कानि श्री बंसीलाल द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि आपके निर्देशानुसार मै ब्यूरो कार्यालय कि अलमारी से डिजिटल टेप रिकार्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगा हुआ लेकर उदयपुर पहुच गया हु। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बंसीलाल कानि को परिवादी श्री राजीव पोरवाल के मोबाईल नं नोट कराये जाकर कानि को परिवादी के लेब कि लोकेषन भेजकर निर्देष दिए गए कि परिवादी से मिलकर प्रार्थना पत्र प्राप्त करे एवं रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करावें। समय 01.41 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को श्री बंसीलाल कानि द्वारा जरिये दूरभाष अवगत कराया गया कि “ आपके निर्देशानुसार मन् कानि द्वारा परिवादी श्री राजीव पोरवाल से मिलकर आरोपी द्वारा रिश्वत मांग करने सम्बन्धि प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया है। परिवादी को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि भलीभांती समझाई जाकर रिश्वत मांग

सत्यापन की कार्यवाही कराने हेतु समझाईष करने के उपरांत समय करीब 12.19 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नं से आरोपी डा. रतन बिलवाल के मोबाईल न पर जरिये व्हाट्सअप काल करवाया गया परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी द्वारा अभी बाहर होना बताया गया है। उक्त वार्ता को मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में मेमोरी कार्ड लगाकर रिकार्डर को चालु कर रिकार्ड किया गया। जिस पर कानि को आरोपी के उसके कार्यालय में उपस्थित आने या आरोपी द्वारा परिवादी से सम्पर्क करने पर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने हेतु निर्देष दिए गए। तत्पष्चात कानि को परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सुरक्षित अपने पास रखने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 06.24 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को कानि श्री बंसीलाल द्वारा जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि ‘‘काफी समय पश्चात भी आरोपी द्वारा परिवादी से सम्पर्क नही होने के कारण परिवादी द्वारा स्वयं आरोपी को काल करने हेतु कहा गया जिस पर समय 02.59 पीएम, 04.22 पीएम, 04.23 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये व्हाट्सअप काल वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को चालु कर रिकार्ड किया गया है। इसके पश्चात परिवादी की लेब में आरोपी के दलाल अब्दुल कादिर ने उपस्थित आकर रिसेप्शन पर डा. रतन जी द्वारा भेजा जाना बताया था। जिसकी जानकारी परिवादी को होने पर मन् कानि को परिवादी द्वारा बताए जाने पर समय 06.24 पीएम पर मन् कानि द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु सुपूर्द कर मै परिवादी की लेब के अन्य कक्ष में अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकिम रहा। बाद वार्ता आरोपी का दलाल परिवादी की लेब से बाहर चला गया। जिस पर मन् कानि द्वारा परिवादी के कक्ष में जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि आरोपी के दलाल अब्दुल कादिर ने अपने मोबाईल से आरोपी डा. रतन बिलवाल से व्हाट्सअप काल पर वार्ता करवाई थी वार्ता के दौरान मेरे द्वारा मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर वार्ता की गई है। जो की डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई है। जिसमें आरोपी डा. रतन बिलवाल द्वारा 30,000/- रिश्वत राशि अपने दलाल के माध्यम से लेने हेतु सहमत हुआ है। जिस पर कानि को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रख कर उदयपुर ही मुकिम रहने हेतु हिदायत की गई। समय 07.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि द्वारा बताए तथ्यों की ताईद हेतु परिवादी श्री राजीव पोरवाल से जरिये मोबाईल वार्ता की गई तो कानि द्वारा बताए तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी ने स्वतः ही बताया की आरोपी डा. रतन बिलवाल बडा शातिर प्रवृत्ती का आदमी है सीधे रिश्वत राशि ग्रहण नही करता है ना ही रिश्वत राशि लेने आएगा वह अपने किसी ना किसी दलाल को रिश्वत राशि लेने हेतु भेजेगा वह हमेशा अलग-अलग दलालो के मार्फत रिश्वत मांग करता है और रिश्वत राशि दलालों के माध्यम से ही लेता है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजीव पोरवाल को आरोपी एवं उसके दलाल को दी जाने वाली रिष्वती राशि 30,000/- रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 10.07.2026 को प्रातः उदयपुर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द कर कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 07.15 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवष्यकता होने से तहसीलदार, तहसील कार्यालय बांसवाडा के नाम कार्यालय के पत्रांक 680 दिनांक 09.07.2026 के द्वारा दिनांक 10.07.2026 समय 05.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु पाबन्द करने तहरिर जारी कर श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि 657 को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया जो कार्यालय उपस्थित हो तहसील कार्यालय की गवाह मनोनीत की तहरिर प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात श्री गणेश प्रसाद हैड कानि ब्यूरो चैकि प्रतापगढ को प्रातः 05.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष पाबन्द किया एवं श्री दिनेश कुमार सउनि को प्रातः उदयपुर उपस्थित मिलने हेतु हिदायत की गई। समय 09.29 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बंसीलाल कानि से जरिये दूरभाष वार्ता करने पर कानि ने बताया कि मै आपके निर्देशानुसार शास्त्री सर्कल स्थित होटल दयाल के रूम नं 201 में सुरक्षित रूका हुआ हुं। जिस पर कानि को प्रातः समय पर तैयार रहने व परिवादी से सुबह सम्पर्क कर समय पर होटल पर ही बुलाने हेतु निर्देषित किया गया। दिनांक 10.07.2026 समय 06.00 एएम पर पूर्व पाबन्दषुदा गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री दशरथ सिंह उम्र 46 वर्ष जाति राजपुत निवासी कृष्णा का ॅलोनी, जानामेडी उदयपुर रोड जिला ब ंासवाडा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय बांसवाडा एवं श्री भावेष डामोर पुत्र श्री अमरचन्द डामोर उम्र 27 वर्ष जाति डामोर निवासी भोण की घाटी तहसील घाटोल जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ लेखाकार तहसील कार्यालय बांसवाडा होना बताया मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दो ेनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। पूर्व का पाबन्दशुदा श्री गणेशप्रसाद हैड कानि नं 20 ब्यूरो इकाई प्रतापगढ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया, हैड कानि को ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर सुपूर्द की गई, जिसे हैड कानि द्वारा अपने स्वयं के बैंग में सुरक्षित रखी गई । समय 06.15 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री भावेष डामोर एवं ब्यूरो जाब्ता श्री गणेशप्रसाद हैड कानि मय बैग, श्री पंकज कुमार कानि, श्री हरभजन सिंह क.स. एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक मय

आवष्यक संसाधन टेपबाॅक्स, लेपटाॅप, प्रिन्टर इत्यादी को हमराह सुरक्षित लेकर सरकारी वाहन से उदयपुर के लिए रवाना हुआ। समय 09.48 एएम पर दर्ज रहे कि मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समय 09.33 एएम पर परिवादी श्री राजीव पोरवाल से जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि मै शास्त्री सर्कल स्थित होटल दयाल के रूम नं 201 पर उपस्थित मिलुंगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान मय आवष्यक संसाधन जरिये सरकारी वाहन शास्त्री सर्कल स्थित होटल दयाल के रूम नं 201 पर पहुंचा, जहां श्री बंसीलाल कानि उपस्थित मिला। इसी दौरान पूर्व पाबन्दषुदा परिवादी श्री राजीव पोरवाल भी मय रिश्वत राशि 30,000/- रूपये के व श्री दिनेष कुमार सउनि उपस्थित आए। परिवादी को सुरक्षित रूम में बैठाया गया तथा श्री दिनेष कुमार सउनि को टेपबाॅक्स मय आवष्यक संसाधन सुरक्षित सुपूर्द किए गए। समय 10.10 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को श्री बंसीलाल कानि ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2026 एवं दिनांक 09.07.2026 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल टेप रिकार्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ प्रस्तुत किया। तत्पष्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री राजीव पोरवाल से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री राजीव पोरवाल ने शब्द-ब-शब्द सही होना व प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद पूछताछ पर परिवादी ने बताया कि‘ मै राजीव पोरवाल पिता स्व. श्री भंवरलाल जी पोरवाल उम्र 57 वर्ष निवासी बी 405 सर्कल व्यूह अपार्टमेन्ट सुखाडिया सर्कल उदयपुर हाल पेशा लेब संचालक जिसका नाम मार्डन मेडिको सोल्युषन प्रा. लिमिटेड उदयपुर में संचालित है। जिसमे सोनोग्राफी मषीन लगी हुई है जिसके लिए मुझे नये डा. नन्दनी दाधिच, रेडियोलोजिस्ट का नाम जोडने हेतु दिनांक 23.06.2026 को मेरे द्वारा आवेदन पीसीपीएनडीटी ऑफिस बडी रोड पर जमा किए थे परन्तु अभी तक पीसीपीएनडीटी ऑफिस के जेडी डा. रतन बिलवाल के द्वारा हस्ताक्षर नही किए गए। मेरे द्वारा डा. रतन बिलवाल से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि मै करता हु। इसके बाद दिनांक 08.07.2026 को मोबाईल नं से मेरे मोबाईल नं पर डा. रतन बिलवाल के नाम से काल आया और मुझे मिलने कि बात कही है। जिस पर मेरे द्वारा उन्हे मेरी लेब के पते पर बुलाया गया। जिस पर वह मेरी लेब के बाहर कार लेकर आया उक्त व्यक्ति ने मुझे कार नं आरजे 27 सीएफ 1296 मे बैठे-बैठे मुझे कार के पास बुलाया। मै जब उस व्यक्ति कि कार के पास गया तो उसने अपना नाम प्रवीण गर्ग बताकर डा. रतन बिलवाल के द्वारा भेजना बताया और कहा कि तुम्हारे लेब में रेडियोलोजिस्ट डाक्टर का नाम जोडने की स्वीकृति जारी करने के लिए कुल 1,30,000/- रूपये रिश्वत राशि देने पर ही डा. रतन बिलवाल जी हस्ताक्षर कर स्वीकृति जारी करेंगे। इस प्रकार डॅा रतन बिलवाल अपने दलाल प्रवीण गर्ग के माध्यम से रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मै डा. रतन बिलवाल व प्रवीण गर्ग को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरी डा. रतन बिलवाल व प्रवीण गर्ग से कोई आपसी रंजिष नही है ना ही कोई बकाया लेन-देन है। अतः रिपोर्ट पर कानुनी कार्यवाही करावें।’उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकार्ड शुदा डिजिटल टेप रिकार्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को चालु कर रिकार्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंष को स्वयं सुनकर गवाहो को भी सुनाया गया तो गवाहान ने भी आरोपी डा. रतन बिलवाल द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की गई। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द अकब से मूर्तिब की जावेगी। समय 11.00 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी डाॅ रतन बिलवाल के दलाल को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु परिवादी श्री राजीव पोरवाल को कहां तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किए गए। परिवादी श्री राजीव पोरवाल द्वारा पेश किये गये। उक्त समस्त नोटो पर श्री गणेशप्रसाद हैड कानि के पास पूर्व में सम्भलवाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर कि शीषी जिसे हैड कानि द्वारा अपने स्वयं के बैग में सम्भालकर रखी गई थी उक्त शीषी को हैड कानि से निकलवाकर होटल दयाल के रूम नं 201 में टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राजीव पोरवाल की जामा तलाषी गवाह श्री भावेष डामोर से लिवाई गई। जिसमें परिवादी के पास एक मोबाईल फोन एवं चारपहिया वाहन की गाडी की चाबी के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री गणेशप्रसाद हैड कानि से उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री राजीव पोरवाल के पहनी हुई पेन्ट के साईड की दाहिने जैब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री दिनेष कुमार सउनि से टेपबाॅक्स में से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में होटल कमरे में रखे पीने के साफ पानी को गिलास में भरवाकर मंगवाया, इसमें टेपबाॅक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर को निकालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड कानि की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और

जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड कानि से होटल रूम के बाथरूम में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को हिदायत कर उपयुक्त स्थान पर जलाने हेतु निर्देष दिए गए। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को स्वयं के बैग में सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस्ड काल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को होटल रूम में ही रूकने की मुनासिब हिदायत की गई। श्री दिनेष कुमार सउनि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर को ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। समस्त टेप पार्टी सदस्यों में शामिल समस्त जाप्ते को निर्देश दिये कि कार्यवाही के दौरान मोबाईल फोन का इस्तेमाल सिर्फ आपसी संवाद के लिये करे अन्य उपयोग से बचे। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 11.30 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समस्त ब्यूरो जाब्ता उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री भावेष डामोर एवं परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवष्यक दिशा-निर्देष दिये जाकर श्री बंसीलाल कानि नं 63 को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मुनासिब हिदायत के सम्भलवाया गया। इसी दौरान परिवादी ने स्वतः बताया कि कल दिनांक 09.07.2026 को मांग सत्यापन के दौरान मेरी लेब में आरोपी का दलाल अब्दुल कादिर आया था उसी ने मेरी आरोपी डा. रतन बिलवाल संयुक्त निदेशक से मोबाईल से वार्ता करवाई थी। आरोपी डाक्टर बडा ही शातीर है वह रिश्वत की मांग एवं वार्ता हेतु अलग-अलग दलालों को भेजता है और रिश्वत राशि को "रिपोर्ट" कहकर संबोधित करता है, कल भी दिनांक 09.07.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी डाक्टर रतन बिलवाल ने रिश्वत राशि को " रिपोर्ट तैयार है' कहकर ही बात की थी बाद में उसने रिश्वत राशि लेने की सहमति व्यक्त की थी। परिवादी द्वारा बताये गए तथ्यों से आरोपी डा. रतन बिलवाल संयुक्त निदेशक बडा ही शातीर प्रवृत्ती का व्यक्ति है और रिश्वत राशि दलालो के माध्यम से ग्रहण करता है, इस सम्बन्ध में परिवादी को रिश्वत लेन-देन वार्ता के समय सतर्कता बरतने की आवष्यक हिदायत दी गई। समय 11.56 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी डा. रतन बिलवाल की लोकेशन पता करने हेतु परिवादी के मोबाईल से आरोपी डा. रतन बिलवाल के मोबाईल नं पर काल करवा वार्ता करवाई गई । तो आरोपी ने कल वाले आदमी को ही भेजने के बारे में बताया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रख कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को चालु कर श्री बंसीलाल कानि द्वारा रिकार्ड किया गया। समय 12.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजीव पोरवाल व कानि श्री बंसीलाल को मय डिजिटल टेप रिकार्डर के परिवादी की निजी कार से मधुवन स्थित लेब की ओर रवाना किया गया। पीछे-पीछे श्री दिनेश कुमार सउनि व श्री हरभजन सिंह कनि.सहा. को स्कुटी से तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री भावेश डामोर ब्यूरो जाब्ता श्री पंकज कुमार व श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि के मय टेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर इत्यादी आवश्यक संसाधनों के जरिये सरकारी वाहन से मधुवन स्थित परिवादी की लेब के लिए रवाना हुए। समय 12.05 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा परिवादी के मधुवन स्थित लेब मोर्डन मेडिको सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर के आस-पास पहुंच वाहनों को रोड के साईड में खडा किया जाकर दोनो गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता को लेब के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक के आदेश के इन्तजार में मुकिम रहने हेतु निर्देशीत किया जाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक, परिवादी व श्री बंसीलाल कानि मय डिजिटल टेप रिकार्डर के परिवादी की लेब में पहुच कर आरोपी डा. रतन बिलवाल या उसके दलाल के आने के इन्तजार में मुकिम रहे। समय 01.26 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल से पुनः आरोपी डा. रतन बिलवाल के मोबाईल नं पर काल करवा वार्ता करवाई गई। तो आरोपी ने करीब आधे घण्टे बाद आदमी को भेजने के बारे में बताया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रख कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को चालु कर श्री बंसीलाल कानि द्वारा रिकार्ड किया गया। समय 03.05 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी ने बताया कि लेब के रिसेप्शन पर आरोपी डा. रतन बिलवाल का दलाल अब्दुल कादिर आया है जिसे मैने पांच मिनट रूकने के लिए कहा है। जिस पर मेरे निर्देशन में समय करीब 03.10 पीएम पर श्री बंसीलाल कानि द्वारा कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को सम्भलवा कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय कानि के परिवादी के लेब के अन्दर ही अपनी उपस्थिती को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारा के इन्तजार में रहे। समय 06.50 पीएम पर दर्ज रहे कि समय करीब 03.00 पीएम पर परिवादी श्री राजीव पोरवाल अपने कक्ष से बाहर निकलकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आया जिससे मैने डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पष्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी डा. रतन बिलवाल का दलाल श्री अब्दुल कादिर मेरे

कक्ष में आकर मिला जिसे मैने डा. रतन बिलवाल की मांगनुसार रिश्वत राशि 30,000/- रूपये देने पर आरोपी के दलाल अब्दुल कादिर ने रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर रिश्वत राशि को अपने दोनो हाथों से गिनने के दौरान उसे शंका होने लगी थी उसके बाद रिश्वत राशि को उसके द्वारा गिना जाकर पुरे तीस हजार होने की सहमति दी उसके उपरांत मेरे द्वारा अपनी टेबल की दाई तरफ से एक सफेद लिफाफा निकाल कर टेबल पर उसकी तरफ सरकाया जिसे उसने लेकर रिश्वत राशि 30,000/- रूपये को सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को टेबल पर ही रखकर कहा की “ दुसरा लडका आधे घण्टे में आकर ले जाएगा।” जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के साथ उसकी लेब से बाहर आकर आस-पास उक्त दलाल की तलाष की गई परन्तु दलाल श्री अब्दुल कादिर मौके से कार्यवाही की भनक लगने से रूहपौष हो गया। तत्पष्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के कक्ष में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई तो उक्त फुटेज से परिवादी द्वारा बताए तथ्यों की ताईद हो रही थी। जिस पर आस-पास मौजुद ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के कक्ष में बुलाया गया और परिवादी के टेबल पर पडे सफेद लिफाफे मय रिश्वत राशि को गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह से उठवाया जाकर पूर्व मं मूर्तिब फर्द पेषकषी से मिलान करवाया गया तो हूबहू होना स्वीकार किया। उक्त लिफाफा मय रिश्वत राशि को गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह को सुरक्षित रखने हेतु निर्देषीत किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उच्चाधिकारीयों को आरोपी डा. रतन बिलवाल के दलाल श्री अब्दुल कादिर के रूहपौष हो जाने सम्बन्धि हालात अर्ज कर निर्देष प्राप्त कर दलाल श्री अब्दुल कादिर एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल की लोकेषन ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त की गई। डा. रतन बिलवाल की लोकेषन उसके कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर की होने पर श्री लक्ष्मण डांगी पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो एसयू उदयपुर को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर आरोपी डा. रतन बिलवाल की लोकेषन पर जाकर डिटेन कर पेष करने हेतु निर्देष प्रदान किए। तत्पष्चात रवाना होने से पूर्व परिवादी श्री राजीव पोरवाल, श्री बंसीलाल कानि, श्री दिनेष कुमार सउनि को परिवादी की लेब पर ही मुकिम रहने की हिदायत कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता श्री पंकज कुमार, श्री हरभजन सिंह कनि.सहा., श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि जरिये सरकारी वाहन दलाल श्री अब्दुल कादिर के मेडिकल शॉप पटेल सर्जीकल पहुचे। जहां उसका छोटा भाई मिला जिससे अब्दुल कादिर के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो उसने बताया की अभी थोडी देर पहले यहा स्कुटी से आया था और स्कुटी को छोडकर गया है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री पंकज कुमार व श्री हरभजन सिंह कानि.स. को दलाल अब्दुल कादिर के मेडिकल शॉप पटेल सर्जिकल पर निगरानी हेतु छोडते हुए दलाल के उपस्थित आने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करवाने हेतु निर्देषित कर ब्यूरो मुख्यालय से पुनः दलाल की लोकेषन प्राप्त की गई तो अब्दुल कादिर की लोकेषन सेक्टर 6 सेटेलाईट हॉस्पीटल रोड सब्जी मण्डी के पीछे आने पर उक्त लोकेषन की तरफ मय हमराहियान के सरकारी वाहन से रवाना हो लोकेषन पर पहुचा जहां आस-पास दलाल की तलाष करने पर वह एक घर के बाहर खडा हुआ नजर आया जिसे डिटेन कर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल सब्बुर उम्र 27 वर्ष निवासी मकान नं 831 बरकत कॉलोनी सवीना हिरण मगरी सेक्टर 12 जिला उदयपुर होना बताया। तत्पष्चात अब्दुल कादिर को यथा स्थिती डिटेन कर सरकारी वाहन में बैठा कर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री पंकज कुमार कानि व श्री हरभजन सिंह कनि.स. को जरिये दूरभाष टोकर चैराहे उपस्थित मिलने के लिए निर्देषित किया गया। उक्त दोनो कार्मिक टोकर चैराहे उपस्थित मिले जिन्हे हमराह लिया जाने के उपरांत श्री लक्ष्मण डांगी पुलिस निरीक्षक से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो पुलिस निरीक्षक ने बताया की आप द्वारा बताए लोकेषन पर तलाष की गई तो आरोपी मौके पर नही है जिस पर पुनः ब्यूरो मुख्यालय से आरोपी डा. रतन बिलवाल की लोकेषन प्राप्त की गई तो आरोपी डा. रतन बिलवाल की लोकेषन जयसमन्द रोड आने पर मय डिटेनशुदा आरोपी दलाल व हमराहियान टीम के उक्त लोकेषन पहुचा जहा आस-पास के होटल व स्थानो पर डा. रतन बिलवाल की तलाष करने के उपरांत भी नही मिला जिस पर उदयपुर से जयसमन्द की तरफ जाने वाले प्रथम टोल नाके पर पहुच कर टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए परन्तु उसमें भी कोई गतिविधी नजर नही आई। जिस पर हालात उच्चाधिकारीयो को अर्ज कर निर्देष प्राप्त कर मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहन, डिटेनशुदा दलाल अब्दुल कादिर मय ब्यूरो जाब्ता के जरिये सरकारी वाहन से डा. रतन बिलवाल संयुक्त निदेशक के कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर पहुचे जहां डाक्टर के सरकारी वाहन का चालक उपस्थित मिला जिससे डाक्टर रतन बिलवाल के सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया की मै साहब को उनके कहने पर सरकारी वाहन से पलोदडा बस स्टेण्ड के पास रोड पर छोड कर वापस कार्यालय आ गया था। तत्पष्चात मौके पर उपस्थित श्री अनिल एएओ को परिवादी के लेब से सम्बन्धित आवेदन मय स्वीकृति आदेष की प्रमाणित छायाप्रतिया एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के सेवा विवरण दस्तावेज लेकर उपस्थित आने हेतु निर्देषित किया गया। तत्पष्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से परिवादी की लेब पर उपस्थित श्री दिनेष कुमार सउनि को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर परिवादी एवं श्री बंसीलाल कानि को हमराह लेकर होटल दयाल पहुचने के निर्देष प्रदान कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी डा. रतन बिलवाल के दलाल श्री अब्दुल कादिर को हमराह लेकर संयुक्त निदेषक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर के कार्यालय से रवाना होकर शास्त्री सर्कल होटल दयाल के कमरा नं 201 मे पहुचा। श्री पंकज कुमार कानि व श्री हरभजन सिंह कनि. सहा. को होटल के कमरे के बाहर निगरानी करने के निर्देष प्रदान किए। चूंकि आरोपी

डा. रतन बिलवाल के दलाल श्री अब्दुल कादिर ने रिश्वत राशि 30,000/- रूपये ग्रहण कर अपने दोनो हाथों से गिनकर एक सफेद लिफाफे में रखकर टेप कार्यवाही की भनक लग जाने से मौके से रूहपौष हो गया जिसे डिटेन कर लिया गया है। कार्यवाही में आरोपी दलाल श्री अब्दुल कादिर के दोनो हाथो का धोवन नियमानुसार लिया जाना आवष्यक होने से श्री दिनेश कुमार सउनि से सरकारी वाहन में से टेपबाक्स मंगवाया जाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से टेपबाॅक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर होटल के कमरा नं 201 के कक्ष से पीने का साफ पानी उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम काॅर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री अब्दुल कादिर के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH1 o RH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री अब्दुल कादिर के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH1 o LH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह को पूर्व में सम्भलाई गई रिश्वती राशि मय लिफाफा प्राप्त कर नियमानुसार रिश्वती राशि का मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी से पुनः करवाया गया तो नोट हूबहू हुए जिन्हे एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गए। लिफाफे को भी एक सफेद कपडे की थैली में डालकर कागज की चिट लगाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरो लिये गए। समस्त सीलचीटशुदा आर्टिकल्स मय रिश्वती राशि सुरक्षित टेपबाॅक्स में श्री दिनेश कुमार सउनि से रखवाए गए। उक्त बरामदगी की विडीयोग्राफी श्री बन्सीलाल कानि नं 63 से ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगवाकर मोबाईल में विडीयोग्राफी करवाई गई। मौके पर प्रयुक्त डिस्पोजल गिलास को श्री दिनेश कुमार सउनि होटल से बाहर उपयुक्त स्थान पर जलाकर नष्ट करने हेतु निर्देश प्रदान किए। सांयकाल का समय होने से घटना स्थल नक्शा मौका अकब से मूर्तिब किया जावेगा। हालात उच्चाधिकारीयों का अर्ज किए गए। समय 09.30 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष आरोपी डा. रतन बिलवाल के दलाल अब्दुल कादिर को परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो " दलाल अब्दुल कादिर ने बताया की मैने तो डा. रतन जी बिलवाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर के कहने पर श्री राजीव पोरवाल सर के लेब में आज जाकर उनके द्वारा दिए गए रूपयो को ग्रहण किया था। यह राशि डा. रतन जी बिलवाल के लिए मैने ली थी। मुझे आज भी डा. रतन जी ने ही राजीव सर की लेब पर भेजा था और मुझे राजीव सर ने कुछ रूपये दिए थे जिसे मैने अपने हाथों से लेकर गिना था जो कि डा. रतन जी के कहेनुसार कुल 30,000/- रूपये थे परन्तु मुझे नोटो पर मिट्टी जैसा कुछ लगा होने से शंका हुई तो मैने उक्त राशि को राजीव सर के दिए लिफाफे में रखकर उन्ही की टेबल पर रख दिया और मै उनकी लेब से बाहर निकल गया था। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री राजीव पोरवाल ने स्वतः ही बताया की डा. रतन जी बिलवाल एक शातीर प्रवृत्ती का व्यक्ती है। वह पीछले तीन दिन से अलग-अलग दलालो के माध्यम से रिश्वत राशि की मांग कर रहा था आज उसने वार्तानुसार रिश्वत के 30,000/- रूपये लेने हेतु अब्दुल कादिर को भेजा था। अब्दुल कादिर द्वारा ही दिनांक 09.07.2026 को मेरी डा. रतन जी बिलवाल से अपने मोबाईल से बात करवाई थी, जिसमें डा. रतन बिलवाल द्वारा मुझसे 30,000/- रूपये रिश्वत लेने की सहमति व्यक्त की गई थी। डा. रतन बिलवाल के दलाल अब्दुल कादिर जिसे डिटेन किया हुआ है जिसे नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना भूपालपुरा जिला उदयपुर पहुच सम्पादित किया जाना उचित होगा। समय 10.28 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, डिटेनशुदा आरोपी दलाल अब्दुल कादिर मय ब्यूरो जाब्ता मय आवश्यक संसाधनों व सिलचिट शुदा आर्टिकल इत्यादी के अपने-अपने वाहनो से अग्रिम टेपकार्यवाही हेतु पुलिस थाना भूपालपुरा के लिए रवाना हो समय 10.35 पीएम पर थाना पहुच कर डीओ ड्युटी इचार्ज को अपना व हमराहियान का परिचय देकर कार्यवाही के लिए थाना परिसर में कक्ष उपलब्ध कराने हेतु कहा गया जिस पर उनके द्वारा थाना परिसर में कक्ष उपलब्ध करवाय गया। थाने के रोजनामचा आम में रपट डलवा कर नियमानुसार अग्रिम टेपकार्यवाही शुरू की गई। समय 10.40 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मेेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो के लेपटाॅप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 09.07.2026 को समय करीब 12.19 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये व्हाट्सअप काल वार्ता (रिकार्डर में तकनीकी खराबी से केवल 0.8 सेकेण्ड की ही वार्ता रिकार्ड हुई), समय करीब 02.59 पीएम परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये व्हाट्सअप काल वार्ता, समय करीब 04.22 पीएम आरोपी द्वारा काल रिसीव नही किया गया केवल रिंग जाने की आवाज रिकार्ड हुई है। समय करीब 04.23 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य मोबाईल वार्ता उक्त समस्त मोबाईल वार्ताओ को परिवादी द्वारा अपने मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर की गई थी। समय करीब 06.19 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल व दलाल अब्दुल कादिर के मध्य आमने-सामने व मोबाईल में हुई वार्ताओ को पृथक-पृथक चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ

की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री राजीव पोरवाल ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज डा. रतन बिलवाल व दलाल अब्दुल कादिर की होने की पुष्टि की। उक्त वार्ता में दलाल अब्दुल कादिर द्वारा एक आवाज स्वयं की व एक डा. रतन जी बिलवाल संयुक्त निदेशक की होने की ताईद की गई। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 11.07.2026 समय 12.40 एएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मेेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो के लेपटाॅप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 10.07.2026 को समय करीब 11.56 एएम पर परिवादी व आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये मोबाईल वार्ता, समय करीब 1.26 पीएम पर परिवादी व आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये मोबाईल वार्ता उक्त समस्त मोबाईल वार्ताओ को परिवादी द्वारा अपने मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर की गई थी। समय करीब 03.10 पीएम पर परिवादी व आरोपी के दलाल अब्दुल कादिर के मध्य आमने-सामने हुई लेन-देन वार्ताओ को पृथक-पृथक चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री राजीव पोरवाल ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज डा. रतन बिलवाल व दलाल अब्दुल कादिर की होने की पुष्टि की। उक्त वार्ता में दलाल अब्दुल कादिर द्वारा एक आवाज स्वयं की व एक डा. रतन जी बिलवाल संयुक्त निदेशक की होने की ताईद की गई। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 03.00 एएम पर आरोपी के दलाल श्री अब्दुल कादिर को भ्रनिब्यूरो के पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 11.07.2026 आवाज नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-2 दिनांक 11.07.2026 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। दोनो पत्रों को शामिल पत्रावली किये गये। समय 03.30 एएम पर दिनांक 09.07.2026 को समय करीब 12.19 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये व्हाट्सअप काल वार्ता (रिकार्डर में तकनीकी खराबी से केवल 0.8 सेकेण्ड की ही वार्ता रिकार्ड हुई), समय करीब 02.59 पीएम परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये व्हाट्सअप काल वार्ता, समय करीब 04.22 पीएम आरोपी द्वारा काल रिसीव नही किया गया केवल रिंग जाने की आवाज रिकार्ड हुई है। समय करीब 04.23 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य मोबाईल वार्ता, समय करीब 06.19 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल व दलाल अब्दुल कादिर के मध्य आमने-सामने व मोबाईल वार्ता व दिनांक 10.07.2026 को समय करीब 11.56 एएम पर परिवादी व आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये मोबाईल वार्ता, समय करीब 1.26 पीएम पर परिवादी व आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये मोबाईल वार्ता, समय करीब 03.10 पीएम पर परिवादी व आरोपी के दलाल अब्दुल कादिर के मध्य आमने-सामने हुई लेन-देन वार्ताओ जिसे नियमानुसार परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो के लेपटाॅप से श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी तथा एक पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल व आरोपी पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी एवं डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 04.00 एएम पर दिनांक 09.07.2026 को समय करीब 12.19 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये व्हाट्सअप काल वार्ता (रिकार्डर में तकनीकी खराबी से केवल 0.8 सेकेण्ड की ही वार्ता रिकार्ड हुई), समय करीब 02.59 पीएम परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये व्हाट्सअप काल वार्ता, समय करीब 04.22 पीएम आरोपी द्वारा काल रिसीव नही किया गया केवल रिंग जाने की आवाज रिकार्ड हुई है। समय करीब 04.23 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य मोबाईल वार्ता, समय करीब 06.19 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल व दलाल अब्दुल कादिर के मध्य आमने-सामने व मोबाईल वार्ता व दिनांक 10.07.2026 को समय करीब 11.56 एएम पर परिवादी व आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये मोबाईल वार्ता, समय करीब 1.26 पीएम पर परिवादी व आरोपी डा. रतन बिलवाल के मध्य जरिये मोबाईल वार्ता, समय करीब 03.10 पीएम पर परिवादी व आरोपी के दलाल अब्दुल कादिर के मध्य आमने-सामने हुई लेन-देन वार्ताओ जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार श्री बंसीलाल कानि नं 63 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकार्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क M अंकित कर जब्त किया गया। समय 04.30 एएम पर

आरोपी के दलाल श्री अब्दुल कादिर को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके परिचीत को दी गई। समय 05.00 एएम पर दिनांक 10.07.2026 को आरोपी डा. रतन बिलवाल के दलाल श्री अब्दुल कादिर के विरूद्व टेपकार्यवाही के दौरान श्री बन्सीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी लेपटॉप से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी पेन ड्राईव तथा एक पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी व डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 05.20 एएम पर दिनांक 10.07.2026 को आरोपी डा. रतन बिलवाल के दलाल श्री अब्दुल कादिर के रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल से विडीयाग्राफी की गई थी जो सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी उक्त मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। समय 05.35 एएम पर आरोपी दलाल श्री अब्दुल कादिर की जामातलाशी के दौरान बरामद मोबाईल जिसे स्वतंत्र गवाह श्री भावेश सुथार को सम्भलाया गया था जिसे जब्त करना आवश्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 07.50 एएम पर परिवादी श्री राजीव पोरवाल को उसके लेब मे लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज कि रिकॉर्डिग एवं डिवीआर में लगी हार्ड डिस्क को लाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 09.15 एएम पर आरोपी अब्दुल कादिर के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु श्री दिनेश कुमार एएसआई, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि को पाबंद कर जरिये तहरिर सरकारी वाहन पुलिस थाना भोपालपुरा उदयपुर से रवाना किया गया। समय 09.55 एएम पर उपरोक्त फिगरा के रवानाशुदा ब्यूरो जाप्ता मय आरोपी अब्दुल कादिर के जरिये सरकारी वाहन बाद स्वास्थ्य परीक्षण करा पुलिस थाना भोपालपुरा पर उपस्थित हुए। श्री दिनेश कुमार एएसआई द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेश की जिसे बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया। आरोपी अब्दुल कादिर को सुरक्षित थाना हाजा के कक्ष में बैठाया गया। समय 10.20 एएम पर आरोपी के दलाल श्री अब्दुल कादिर को सुरक्षित पुलिस थाना भूपालपुरा में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि कि निगरानी में रखकर परिवादी श्री राजीव पोरवाल को जरिये दूरभाष लेब पर उपस्थित रहने के लिए पाबन्द कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह ब्यूरो जाब्ता श्री दिनेश कुमार सउनि मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से घटनास्थल निरीक्षण करने हेतु परिवादी के लेब मॉर्डन मेडिको सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के लिए रवाना हुआ। समय 11.10 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा परिवादी के लेब मॉर्डन मेडिको सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड पहुचा जहां मुझे पाबन्दशुदा परिवादी उपस्थित मिला जिस पर घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर कराये गए। परिवादी श्री राजीव पोरवाल को सीसीटीवी कैमरे की फुटैज लेकर पुलिस थाना भूपालपुरा उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर मय सरकारी वाहन के मौके से रवाना हो हाजिर पुलिस थाना भूपालपुरा आया। समय 11.15 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक आरोपी डा. रतन बिलवाल की तलाश की जाना आवश्यक होने से मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, सरकारी वाहन मय श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि के आरोपी डा. रतन बिलवाल के रहवासीय मकान डबोक के लिए रवाना हुआ। समय 01.50 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के आरोपी डॉ रतन बिलवाल की बाद तलाशी पुलिस थाना भूपालपुरा पहुचा जहां पाबन्दशुदा परिवादी श्री राजीव पोरवाल अपनी लेब के कक्ष में लगे सीसीटीवी फुटैज की हार्डडिस्क मय एक पेन ड्राईव एवं श्री अनिल कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर थाने पर उपस्थित मिले। समय 02.10 पीएम पर परिवादी श्री राजीव पोरवाल द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को सीसीटीवी फुटैज की हार्डडिस्क मय एक पेन ड्राईव जिसमे ंदिनांक 09.07.2026 एवं 10.07.2026 के लेब कक्ष के विडियो फुटेज सेव है उक्त पेन ड्राईव को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के कार्मिक श्री बंसीलाल कानि से लेपटॉप मे ंकनेक्ट करवा सीसीटीवी फुटैज की रिकॉर्डिग देखी जाकर उक्त पेनड्राईव से एक नई पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 04 जीबी तैयार करवाई जाकर एक सफेद लिफाफे में अनशिल्ड रखवाई गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत हार्डडिस्क DAICHI कम्पनी एक टीबी होकर बरंग सिल्वर और काला व पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर16 जीबी को कार्यवाही में आवश्यक होने से जरिये फर्द जब्त किया गया। फर्द अकब से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए। समय 02.30 पीएम पर श्री अनिल कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर जो पूर्व से थाना हाजा पर उपस्थित है। जिन्हे दिनांक 09.07.2026 एवं 10.07.2026 को परिवादी एवं आरोपी डा. रतन बिलवाल संयुक्त निदेशक के मध्य हुई मोबाईल एवं आमने-सामने वार्ताजो की डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड सेव थी उक्त मेमोरी

कार्ड से डब पेन ड्राईव तैयार करवाई गई थी जो श्री दिनेश कुमार सउनि से मंगवाई जाकर पेन ड्राईव को श्री बंसीलाल कानि से ब्यूरो कार्यालय के लेपटाॅप से कनेक्ट करवा उक्त वार्ताओ के मुख्य-मुख्य अंश को चलाकर सुनवाया गया तो श्री अनिल कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आरोपी डा. रतन बिलवाल की आवाज पहचान करते हुए कहा कि यह मेरे कार्यालय प्रभारी है कार्यालय के दैनिक कार्यो हेतु उनसे मेरा निरन्तर संवाद एवं बातचीत होती रहती है मै उनकी आवाज भली-भांती पहचानता हु। जिसकी मै अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर स्वयं की सहमति से ताईद करता हु। समय 03.00 पीएम पर टेपकार्यवाही की लिखापढी पूर्ण हो जाने पर सिलचिट जब्तशुदा शुदा आर्टिकल को सुरक्षित टेपबाॅक्स में रखने हेतु श्री दिनेश कुमार सउनि को सम्भलवाया गया। परिवादी श्री राजीव पोरवाल एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत के रूखसत किया गया। ब्यूरो जाब्ता श्री गणेश प्रसाद हैड कानि जाये तैनाती एवं श्री पंकज कुमार कानि, श्री हरभजन सिंह कनि. सहा. को ब्यूरो कार्यालय बंासवाडा उपस्थिती देने हेतु रूखसत किया गया। समय 03.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मय जाप्ता श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बंसीलाल कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय आरोपी श्री अब्दुल कादिर को मय सरकारी वाहन व चालक मय सिलचिट जब्तशुदा शुदा आर्टिकल, टेपबाक्स से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुआ। प्रकरण मे ंआरोपीगण डा. रतन बिलवाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ ंजोन उदयपुर के लिए आरोपी दलाल श्री अब्दुल कादिर द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया जाकर न्यायाधीष महोदय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेंगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनाॅफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी डा. रतन बिलवाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर द्वारा परिवादी श्री राजीव पोरवाल के लेब में रेडियोलोजिस्ट डाक्टर का नाम जोडने की स्वीकृति जारी करने की एवज मे रिश्वत राशि की मांग कर अपने दलाल श्री अब्दुल कादिर को रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु परिवादी के पास भेजा गया था आरोपी दलाल श्री अब्दुल कादिर द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथो से ग्रहण कर गिनकर लिफाफे में डाले गए कार्यवाही की भनक लग जाने से मौके से रूहपौष हो गया। आरोपी डा. रतन बिलवाल को भी टेपकार्यवाही की भनक लग जाने पर कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर से रूहपौष हो गया। दोनो आरोपीगणों कि ब्यूरो मुख्यालय से लोकेषन प्राप्त की जाकर आरोपी के दलाल श्री अब्दुल कादिर को डिटेन कर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के मुख्य आरोपी डा. रतन बिल वाल संयुक्त निदेशक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था। आरोपी डा. रतन बिलवाल बहुत ही शातीर प्रवृत्ती का व्यक्ति होकर रिश्वत राशि स्वयं ग्रहण न कर अपने दलालो के माध्यम से रिश्वत राशि की मांग एवं रिश्वत राशि ग्रहण करता है। उपरोक्त कार्यवाही मै भी आरोपी डा. रतन बिलवाल द्वारा अपने दलाल अब्दुल कादिर के माध्यम से परिवादी श्री राजीव पोरवाल से रिश्वत राशि की मांग की गई जो आरोपी डा. रतन बिलवाल व दलाल अब्दुल कादिर की आपसी मिलिभगत होना पूर्ण रूप से प्रमाणित है। इस प्रकार आरोपी डा रतन बिलवाल द्वारा परिवादी के लेब में रेंडियोलाजिस्ट डाक्टर का नाम जोडने की स्वीकृति जारी करने की एवज मे रिश्वत राशि की मांग की गई जिस पर नियमानुसार दिनांक 09.07.2026 को रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग कि पुष्टि हुई। तत्पष्चात नियमानुसार अग्रिम टेप कार्यवाही आयोजित की जाकर दिनांक10.07.2026 को आरोपी डाॅ रतन बिलवाल संयुक्त निदेशक के दलाल श्री अब्दुल कादिर को रिश्वत राशि 30,000/-रूपये ग्रहण करने पर डिटेन कर नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है तथा आरोपी से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के मुख्य आरोपी डा. रतन बिलवाल संयुक्त निदेशक कार्यवाही की भनक लग जाने से फरार है। जिसे डिटेन करने के प्रयत्न किए जा रहे है। डा. रतन बिलवाल द्वारा रिश्वत राशि मांग अपने दलाल के मोबाईल के माध्यम से करना और रिश्वत राशि लेने हेतु दलाल अब्दुल कादिर को भेजना जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि आरोपी रिश्वत राशि स्वय अपने लाभ के लिए अवैध तरिके से परिवादी से मांग कर रहा था। जो अपने पद के अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी से रिश्वत राशि मांग व ग्रहण कर रहा था। इस प्रकार आरोपीगण डा. रतन लाल बिलवाल पुत्र श्री शान्तिलाल उम्र 47 वर्ष निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ हाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर अपने दलाल श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल सब्बुर उम्र 27 वर्ष निवासी मकान नं 831 बरकत कालोनी सवीना हिरण मगरी सेक्टर 12 जिला उदयपुर के माध्यम से ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दलाल श्री अब्दुल कादिर को दिनांक 11.07.2026 को गिरफ्तार किया गया है। जो की जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित2018) के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण डा. रतन लाल बिलवाल पुत्र श्री शान्तिलाल उम्र 47 वर्ष निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ हाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर एवं दलाल श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल सब्बुर उम्र 27 वर्ष निवासी मकान नं 831 बरकत कालोनी सवीना हिरण मगरी सेक्टर 12 जिला

उदयपुर के विरूद्व जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित2018) में आरोपीगण 1. डॉ. रतन लाल बिलवाल पुत्र श्री शान्तिलाल उम्र 47 वर्ष निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ हाल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन उदयपुर एवं 2. श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल सब्बुर उम्र 27 वर्ष निवासी मकान नं 831 बरकत कालानी सवीना हिरण मगरी सेक्टर 12 जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 244 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1164-67 दिनांक 14.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- निदेशक(जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** Rajendra Singh Jain **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/07/2026 15:10:56

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1979 | | | | |
| 2 | Male | 1999 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)